सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1)(ख) के सम्बन्ध में

साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं निदेशालय, उत्तर प्रदेश
203/9, नबीउल्लाह रोड, लखनऊ

4(1)(ख)–इस अधिनियम के 120 दिन के भीतर–

(ख) (i) अपने संगठन की विशिष्टयां, कृत्य और कर्तव्य;

- 15+ वयवर्ग के निरक्षरों को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मानक के अनुसार बेसिक साक्षरता उपलब्ध कराना एवं उनकी साक्षरता बनाये रखने के लिए उत्तरोत्तर कार्यक्रमों की व्यवस्थां

विशिष्टता –

- कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए व्यवस्था करना एवं निर्धारित गाइड लाइन के आधार पर कार्यक्रमों को नियोजित करना

कृत्य और कर्तव्य –

- कार्यक्रम की कार्ययोजनाओं को विकसित कराना
- भारत सरकार से कार्ययोजनाओं को अनुमोदित कराना
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करानां
- भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए उनकी पूर्ति कराना
- जिला स्तरीय संगठनों के लिए मार्गदर्शिका/निर्देशिका तैयार करनां
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार को कार्यक्रम की प्रगति से अवगत कराना
- सभी क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

विभाग में राज्य स्तर पर निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत हैं:–	**आवंटित कार्य**
श्रीमती वसुमती अग्निहोत्री, उप निदेशक	विघटित प्रौढ़ शिक्षा/साक्षरता/आहरण वितरण/हास्टल संबंधी समस्त कार्य/बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 से सम्बन्धित कार्य
2. सुश्री कमलेश प्रियदर्शी, उप निदेशक	विघटित अनौपचारिक शिक्षा/पूर्व में संचालित वैकल्पिक शिक्षा/साक्षर भारत मिशन–2012 का कार्य
3. श्री संतराम सोनी, उप निदेशक(उर्दू)	निदेशालय का प्रबंध/ स्टोर/कार्यालय साज–सज्जा एवं उर्दू अनुभाग से संबंधित समस्त कार्य

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;

- ♦ क्षेत्रीय अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक कर संचालित कार्यक्रम की समीक्षा करना एवं प्राप्त प्रगति का मूल्यांकन करनां समय–समय पर कार्यक्रम से संबंधित सूचना भारत सरकार एवं राज्य सरकार को उपलब्ध करानां
- ♦ जिला लोक शिक्षा समितियों के लक्ष्यों को निर्धारित कर उनकी पूर्ति हेतु दायित्वों का निर्धारण करनां
- ♦ भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी कार्यक्रम से संबंधित सूचनाओं का विवेचन कर उपलब्ध करानां
- ♦ समय–समय पर क्षेत्र भ्रमण करनां

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;

- ♦ विभागीय लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु प्रत्येक कार्यक्रम हेतु निर्धारित समय सीमा निश्चित करना तथा उसके लिए अपेक्षित संसाधन तैयार कर पूर्ण करने के मापदण्ड तैयार किये गये है
- ♦ साक्षर भारत मिशन–2012 को पूर्ण करने के लक्ष्य स्वयं के लिए निदिष्ट किये गये हैं

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा के कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित नियम विनयम तैयार किये गये हैं:–

- ♦ जिला लोक शिक्षा समिति के कार्य
- ♦ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के कार्य
- ♦ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य विभाजन की स्पष्ट नीति का अभिलेख
- ♦ अनुश्रवण के लिए आवश्यक व्यवस्था करनां

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;

- ♦ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा साक्षर भारत मिशन–2012 की प्रसारित मार्गदर्शिका

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है;

- ♦ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है, जो साक्षरता कार्यक्रम के नियोजन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है की साधारण सभा में जनता के प्रतिनिधियों का समुचित स्थान दिया गया है जिससे जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित हो सकें समिति में जनता के प्रतिनिधि के रूप में 5 सदस्यों को नामित किये जाने की व्यवस्था की गई है, जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं
- ♦ इसी प्रकार जिला लोक शिक्षा समिति ने भी जनता के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामित किया गया हैं

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि

क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगीं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगा, विवरण;

- समय–समय पर राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की साधारण सभा में कार्यक्रम के लिए उपयोगी जनता के प्रतिनिधियों का नामांकन/मनोनयन सदस्य के रूप में लिए जाने की व्यवस्था विद्यमान है अतः आवश्यकतानुसार जनता के लिए यह समितियां खुली हैं
- सभी बैठकों के कार्यवृत प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध कराये जाते है तथा वह कार्यवृत जनता के सदस्यों के लिए भी उपलब्ध होंगें

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए इनकी योग्यता एवं पद के आधार पर कार्य का विभाजन किया गया है जो सभी के लिए उपलब्ध हो उपरोक्त कार्यो के बटवारे में अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित समस्त विभागीय निर्देश में दिये गये हैं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऊपर राज्य शासन द्वारा प्रसारित सभी नियम लागू किये गयें

विभाग में राज्य स्तर पर निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत हैः–	**आवंटित कार्य**
1. श्रीमती वसुमती अग्निहोत्री– उप निदेशक() मोबाइल नं0 9451403868	विघटित प्रौढ़ शिक्षा/साक्षरता/आहरण वितरण/हास्टल संबंधी समस्त कार्य/बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 से सम्बन्धित कार्यं
2. सुश्री कमलेश प्रियदर्शी उप निदेशक() मोबाइल नं0 9415798467	विघटित अनौपचारिक शिक्षा/पूर्व में संचालित वैकल्पिक शिक्षा/साक्षर भारत मिशन–2012 का कार्यं
3. श्री संतराम सोनी उप निदेशक(उर्दू) मोबाइल नं0 9307837708	निदेशालय का प्रबंध/ स्टोर/कार्यालय साज–सज्जा एवं उर्दू अनुभाग से संबंधित समस्त कार्यं

(ग) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो;

विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रदेश शासन द्वारा अनुमन्य वेतन एवं भत्ते दिये जाते हैं, जिनका विवरण निम्नवत् हैः– (अतिरिक्त रूप में कोई मासिक पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है)

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान	मासिक पारिश्रमिक
1.	श्री संजय मोहन	निदेशक, साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, उ0प्र0, लखनऊ	37400–67000	शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के रूप में वेतन आहरित
2.	श्रीमती वसुमती अग्निहोत्री	उपनिदेशक	15600–39100	रु. 50,435.00
3.	सुश्री कमलेश प्रियदर्शी	उपनिदेशक	15600–39100	रु. 48,921.00
4.	श्री राम धीरज वर्मा	कार्यालय अधीक्षक	9300–34800	रु. 25,608.00
5.	श्री बृजेश कुमार सिंह	आशुलिपिक	9300–34800	रु. 23,703.00
6.	श्री गया प्रसाद	वरिष्ठ लिपिक	5200–20200	रु. 20,369.00
7.	श्री दिनकर प्रसाद जोशी	वरिष्ठ लिपिक	5200–20200	रु. 19,227.00
8.	श्री राम आसरे मिश्रा	कनिष्ठ लिपिक	5200–20200	रु. 16,550.00

9.	श्री मोहनजी त्रिपाठी	कनिष्ठ लिपिक	5200—20200	रु. 14,994.00
10.	श्री राम कुमार	चतुर्थ श्रेणी	5200—20200	रु. 12,741.00
11.	श्री सुधाकर मिश्रा	ड्राइवर	5200—20200	रु. 13,080.00
12.	श्री अमर सिंह	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440	रु. 11,699.00
13.	श्री अर्जुन प्रसाद	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440	रु. 11,157.00

उर्दू अनुभाग

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान	मासिक पारिश्रमिक
1.	श्री संत राम सोनी	उप निदेशक	15600—39100	रु. 43,727.00
2.	श्री ताहिर अली सिद्दीकी	आशुलिपिक	9300—34800	रु. 34,849.00
3.	श्री सुनील कुमार बाजपेयी	वरिष्ठ सहायक	5200—20200	रु. 19,127.00
4.	श्रीमती हुमैरा सिद्दीकी	उर्दू अनुवादक	5200—20200	रु. 15,858.00
5.	श्री भोपाल सिंह	चालक	5200—20200	रु. 16,891.00
6.	श्री गिरधारी लाल मिश्रा	चतुर्थ श्रेणी	5200—20200	रु. 13,622.00
7.	श्री दिलीप कुमार	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440	रु. 12,055.00
8.	श्री हनुमान	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440	रु. 9,490.00

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान	मासिक पारिश्रमिक
1.	श्री हरीश चन्द्र बडोला	वैयक्तिक सहायक	9300—34800	रु. 36,755.00
2	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	सांख्यिकी सहायक	9300—34800	रु. 26,209.00
3	श्री ओम प्रकाश	लेखाकार	5200—20200	रु. 20,582.00

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;

- साक्षर भारत योजना की कुल लागत का भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार 25 प्रतिशत वहन करने का प्राविधान हैं
- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि सीधे कार्यदायी संस्था—राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाती है तथा राज्यांश के रूप में उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि निदेशक, साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं निदेशालय के माध्यम से कार्यदायी संस्था— राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को दी जाती हैं
- साक्षर भारत मिशन—2012 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कोर बैंकिंग के अन्तर्गत राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को धनराशि अवमुक्त की जा रही है, जिसे जनपदों के अनुमोदित कार्ययोजनाओं के आधार पर जिला लोक शिक्षा समितियों को उनके सहायक बैंक एकाउन्ट्स(नइेपकपंतल ंबबवनदजे) में कोर बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी हैं
- साक्षर भारत योजनान्तर्गत प्रथम चरण के 26 जनपदों में भारत सरकार द्वारा रु. 470 करोड़ की योजना अनुमोदित की गई है, जिसमें रु. 352.91 करोड़ भारत सरकार का एवं रु. 117.64 करोड़ का राज्य सरकार का अंश सम्मिलित हैं
- प्रथम चरण के जनपदों को प्रथम किशत के रूप में भारत सरकार द्वारा रु. 64.88 करोड़ अवमुक्त किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा रु. 10.00 करोड़ की धनराशि योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी हैं

♦ राज्य निदेशालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन और भत्ते को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रबन्धकीय बजट से वर्ष 2010–11 में वहन किया जा रहा हैं

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है;

♦ साक्षर भारत मिशन–2012 के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि का उपभोग कार्यक्रम के लिए संबंधित जिला लोक शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगां संचालित कार्यक्रम का विवरण निम्नवत् हैः–

साक्षर भारत मिशन–2012 के अन्तर्गत बेसिक साक्षरता में निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया हैः–

– पढ़ने–लिखने और हिसाब–किताब में आत्मनिर्भरता

– अपने पिछड़ेपन के कारणों की जानकारी पाना और विकास कार्यक्रमों में भागीदार बनकर तथा संगठित होकर उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करनां

– अपनी आमदनी बढ़ाने हेतु नए हुनर सीखना तथा

– राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण की सुरक्षा, महिला समानता और छोटे परिवार के आदर्श का पालन जैसे राष्ट्रीय–सामाजिक मूल्यों की जानकारी पाना

<u>बेसिक साक्षरता के निर्धारित मानक</u>

पढ़ना :

- शिक्षार्थियों को रूचि के विषय पर लिखे किसी आसान पैरे को सही तरीके से 30 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलकर पढ़ना
- सरल भाषा में लिखे छोटे पैरा को 35 शब्द प्रति मिनट की गति से चुपचाप पढ़ना
- रास्ते के संकेतों, इश्तिहारों, सरल हिदायतों तथा नवसाक्षरों के लिए छपे समाचार पत्रों आदि को समझकर पढ़ना
- अपने काम–काज और रहन–सहन के सम्बन्ध में सरल रूप से लिखे संदेशों को समझने की योग्यता

लिखना :

- सात शब्द प्रति मिनट की गति से समझकर नकल करना
- पांच शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लेना
- ठीक–ठीक दूरी पर तथा सीधी पंक्ति में लिखना
- शिक्षार्थियों के रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले फार्म छोटे पत्र तथा आवेदन अपने आप लिखना

अंक ज्ञान :

- 1–100 अंको को पढ़ना तथा लिखनां
- छोटे–मोटे हिसाब करना जिसमें जोड़ना और घटाना (तीन अंको से ज्यादा के न हों) और गुणा व भाग (दो अंकों से ज्यादा के न हों)

- भार, नाप, तौल, रूपये, पैसे, दूरी तथा क्षेत्रफल की मीट्रिक इकाइयों तथा समय का काम चलाने लायक ज्ञान होनां
- अनुपात तथा ब्याज की साधारण जानकारी तथा उनका अपने कामकाज और रहन–सहन में प्रयोगं इनमें भिन्न वाली संख्याएं न हों

वित्तीय व्यवस्था

साक्षर भारत योजनान्तर्गत बेसिक साक्षरता के लिए रु. 230/– प्रति लर्नर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हैं

सतत शिक्षा कार्यक्रम/लोक शिक्षा केन्द्र

- सतत शिक्षा कार्यक्रम को आजीवन शिक्षा के रूप में चलाया जा रहा है कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक शिक्षा केन्द्र को स्थापित किया जायेगां
- साक्षर भारत योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक लोक शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जायेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है, जिससे नवसाक्षरों को अपनी साक्षरता बनाये रखने एवं पंचायत स्तर पर शिक्षित समाज तैयार हो सकें
- इन केन्द्रों के माध्यम से पंचायत क्षेत्र के सभी लोगों को शिक्षा, विकास एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरुकता, पोषण एवं स्वास्थ्य, पानी की बचत, स्वच्छ पेयजल आदि की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए लघु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगीं
- लोक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से बेसिक साक्षरता के कार्यक्रम भी संचालित किए जायेंगे, जिसमें चिन्हित निरक्षरों को पढ़ाने एवं क्षेत्र में स्वयं सेवक द्वारा चिन्हित निरक्षरों को पढ़ाये जाने का अनुश्रवण भी किया जायेगां
- लोक शिक्षा केन्द्रों को इस प्रकार विकसित किया जायेगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकास सूचना की खिड़की के रूप में विकसित हो सके एवं पंचायत स्तर पर उन सभी गतिविधियों का केन्द्र बने जो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही हैं

  प्रत्येक लोक शिक्षा केन्द्र पर 2 प्रेरक का मनोनयन ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगां प्रेरक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले निरक्षरों को साक्षर किये जाने संबंधी दायित्व दिया गया हैं

वित्तीय व्यवस्था

इन सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के लिए निम्नानुसार बजट का प्राविधान किया गया है :–

	अनावर्ती (एक बार पहले वर्ष में)	आवर्ती (प्रतिवर्ष)
लोक शिक्षा केन्द्र	पुराने केन्द्र हेतु रु. 25,000.00 नये केन्द्र हेतु रु. 60,000.00	75,000.00

- साक्षर भारत योजनान्तर्गत कुल कार्यक्रम लागत का 4 प्रतिशत प्रबन्धकीय व्यय हेतु निर्धारित किया गया है, जिससे राज्य स्तर से लेकर ब्लाक स्तर तक योजनान्तर्गत संविदा कर्मियों के मानदेय, कार्यालय व्यय एवं अन्य व्यय वहन किये जाने की व्यवस्था की गई हैं

- साक्षर भारत मिशन के अन्तर्गत प्रथम चरण के 26 ऐसे जनपद यथा–आगरा, अलीगढ़, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूँ, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, हाथरस, झांसी, कन्नौज, कुशीनगर, महराजगंज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, उन्नाव एवं वाराणसी का चयन किया गया है, जहाँ पूर्व में सतत शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया गया थां

उत्तर प्रदेश में जनपदवार (15+) साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर (आरोही क्रम में)

क्र. सं.	जनपद	कुल
1	2	3
1	श्रावस्ती	30.14
2	बलरामपुर	30.65
3	बहराइच	31.44
4	बदायूँ	32.38
5	रामपुर	34.34
6	सिद्धार्थनगर	36.37
7	गोण्डा	38.43
8	कौशाम्बी	40.32
9	मुरादाबाद	40.36
10	महराजगंज	40.97
11	कुशीनगर	41.55
12	बाराबंकी	42.06
13	ललितपुर	42.68
14	बरेली	42.94
15	जे.पी.नगर	43.28
16	खीरी	43.36
17	शाहजहांपुर	43.37
18	पीलीभीत	43.54
19	संतकबीरनगर	44.41
20	सोनभद्र	44.47
21	हरदोई	46.09

क्र. सं.	जनपद	पुरूष
1	2	3
1	बलरामपुर	43.06
2	बदायूँ	44.45
3	श्रावस्ती	44.49
4	रामपुर	44.78
5	मुरादाबाद	51.97
6	सिद्धार्थनगर	52.38
7	गोण्डा	54.05
8	बरेली	55.46
9	बाराबंकी	55.70
10	शाहजहांपुर	56.01
11	सीतापुर	56.49
12	खीरी	56.56
13	कौशाम्बी	57.91
14	पीलीभीत	58.56
15	जे.पी.नगर	58.66
16	ललितपुर	59.34
17	सोनभद्र	60.31
18	महराजगंज	60.74
19	हरदोई	61.07
20	कुशीनगर	61.08
21	संतकबीरनगर	63.12

क्र. सं.	जनपद	महिला
1	2	3
1	श्रावस्ती	13.56
2	बलरामपुर	16.85
3	बहराइच	17.52
4	बदायूँ	18.00
5	सिद्धार्थनगर	19.68
6	महराजगंज	19.87
7	कौशाम्बी	20.52
8	गोण्डा	21.34
9	कुशीनगर	21.72
10	रामपुर	22.32
11	ललितपुर	23.77
12	जे.पी.नगर	25.87
13	संतकबीरनगर	25.92
14	पीलीभीत	26.03
15	सीतापुर	26.22
16	बाराबंकी	26.42
17	सोनभद्र	26.48
18	मुरादाबाद	27.03
19	बांदा	27.40
20	महोबा	27.40
21	खीरी	27.91

22	बस्ती	**46.14**
23	महोबा	**47.22**
24	रायबरेली	**47.72**
25	बांदा	**48.47**
26	सुल्तानपुर	**48.80**
27	उन्नाव	**48.99**
28	मिर्जापुर	**49.06**
29	आजमगढ़	**49.66**
30	एटा	**49.89**
31	फैजाबाद	**49.92**
32	प्रतापगढ़	**50.21**
33	फतेहपुर	**50.45**
34	संतरविदासनगर	**50.78**
35	हमीरपुर	**51.13**
36	अम्बेडकरनगर	**51.55**
37	वाराणसी	**51.67**
38	बिजनौर	**52.04**
39	देवरिया	**52.32**
40	गाजीपुर	**52.35**
41	जौनपुर	**52.54**
42	सीतापुर	**52.60**
43	बलिया	**52.62**
44	गोरखपुर	**53.11**
45	चन्दौली	**54.05**
46	अलीगढ़	**54.15**
47	बुलन्दशहर	**54.31**
48	मऊ	**55.00**
49	मुजफ्फरनगर	**55.22**
50	सहारनपुर	**55.63**
51	फर्रुखाबाद	**56.28**
52	मथुरा	**56.32**
53	हाथरस	**56.99**
54	कन्नौज	**57.43**
55	इलाहाबाद	**57.47**
56	आगरा	**58.56**
57	चित्रकूट	**58.69**

22	उन्नाव	**63.18**
23	बस्ती	**63.44**
24	महोबा	**64.25**
25	रायबरेली	**64.34**
26	बिजनौर	**65.31**
27	एटा	**65.55**
28	फैजाबाद	**65.82**
29	मिर्जापुर	**65.99**
30	फतेहपुर	**66.06**
31	बांदा	**66.29**
32	सुल्तानपुर	**66.74**
33	आजमगढ़	**67.06**
34	सहारनपुर	**67.71**
35	अम्बेडकरनगर	**67.84**
36	हमीरपुर	**68.71**
37	मुजफ्फरनगर	**68.78**
38	फर्रुखाबाद	**68.97**
39	बलिया	**69.58**
40	अलीगढ़	**70.27**
41	प्रतापगढ़	**70.44**
42	कन्नौज	**71.07**
43	गोरखपुर	**71.30**
44	गाजीपुर	**71.33**
45	चन्दौली	**71.52**
46	मऊ	**71.99**
47	संतरविदासनगर	**72.22**
48	बुलन्दशहर	**72.31**
49	देवरिया	**72.40**
50	जौनपुर	**72.78**
51	आगरा	**73.10**
52	बहराइच	**73.32**
53	मेरठ	**73.52**
54	कानपुरदेहात	**73.59**
55	इलाहाबाद	**73.77**
56	चित्रकूट	**73.78**
57	हाथरस	**74.03**

22	बस्ती	**27.95**
23	हरदोई	**27.95**
24	शाहजहांपुर	**28.02**
25	संतरविदासनगर	**28.21**
26	बरेली	**28.29**
27	हमीरपुर	**30.03**
28	मिर्जापुर	**30.20**
29	रायबरेली	**30.54**
30	प्रतापगढ़	**31.08**
31	सुल्तानपुर	**31.17**
32	एटा	**31.32**
33	फतेहपुर	**32.76**
34	उन्नाव	**33.08**
35	फैजाबाद	**33.14**
36	देवरिया	**33.17**
37	आजमगढ़	**33.57**
38	गाजीपुर	**33.71**
39	जौनपुर	**33.93**
40	बुलन्दशहर	**34.13**
41	मथुरा	**34.54**
42	गोरखपुर	**34.61**
43	चन्दौली	**35.21**
44	बलिया	**35.24**
45	अम्बेडकरनगर	**35.37**
46	अलीगढ़	**35.39**
47	हाथरस	**36.92**
48	बिजनौर	**37.17**
49	मऊ	**38.34**
50	इलाहाबाद	**38.69**
51	मुजफ्फरनगर	**39.78**
52	बागपत	**40.35**
53	जालौन	**40.35**
54	फर्रुखाबाद	**41.09**
55	चित्रकूट	**41.12**
56	आगरा	**41.41**
57	कन्नौज	**41.42**

58	बागपत	58.81	58	फिरोजाबाद	74.08	58	सहारनपुर	41.69
59	जालौन	59.46	59	बागपत	74.36	59	झांसी	42.80
60	फिरोजाबाद	59.76	60	मथुरा	74.40	60	फिरोजाबाद	42.88
61	मैनपुरी	60.39	61	लखनऊ	75.08	61	मैनपुरी	43.08
62	मेरठ	60.84	62	मैनपुरी	75.16	62	वाराणसी	45.50
63	कानपुरदेहात	61.01	63	जालौन	75.40	63	कानपुरदेहात	45.84
64	झांसी	61.24	64	वाराणसी	76.22	64	गौतमबुद्धनगर	46.13
65	इटावा	64.55	65	झांसी	77.26	65	मेरठ	46.36
66	गौतमबुद्धनगर	64.61	66	इटावा	77.80	66	इटावा	48.89
67	औरैया	65.51	67	औरैया	77.99	67	औरैया	50.62
68	लखनऊ	66.21	68	गाजियाबाद	78.85	68	गाजियाबाद	51.69
69	गाजियाबाद	66.26	69	कानपुर नगर	79.56	69	लखनऊ	58.07
70	कानपुर नगर	72.29	70	गौतमबुद्धनगर	80.11	70	कानपुर नगर	63.64

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 15+ आयुवर्ग की साक्षरता प्रतिशत

विवरण	महिला	पुरुष	कुल
उत्तर प्रदेश	34.28	66.19	51.07
भारत	47.82	73.33	60.97

- बेसिक साक्षरता के अन्तर्गत 15+ वय वर्ग के निरक्षरों की पहचान कर उन्हें बेसिक साक्षरता उपलब्ध कराई जाती है इस हेतु उन्हें निशुल्क पठन–पाठन सामग्री दी जाती है तथा निर्धारित 2 प्रवेशिकायें पढ़ाई जाती हैं
- सतत् शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक लोक शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जायेगी, जिसके माध्यम से नवसाक्षरों की साक्षरता बनाये रखने, ग्राम पंचायत क्षेत्र में चिन्हित निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने आदि के कार्यक्रम संचालित किये जायेंगें

बेसिक साक्षरता के अन्तर्गत निरक्षरों का विवरण

क्र. सं.	जनपद	विकास खण्डों की संख्या	साक्षरता प्रतिशत (15+)			साक्षर भारत योजनान्तर्गत बेसिक साक्षरता में प्रथम चरण के जनपदों में अनुमानित निरक्षरों का लक्ष्य		
			कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	15	58.56	73.10	41.41	354526	50646	303880

2	अलीगढ़	12	54.15	70.27	35.39	322282	46039	276243
3	बलिया	17	52.62	69.58	35.24	313191	44740	268451
4	बांदा	8	48.47	66.29	27.40	187472	26780	160692
5	बाराबंकी	15	42.06	55.70	26.42	370280	52896	317384
6	बरेली	15	42.94	55.46	28.29	473475	67639	405836
7	बस्ती	14	46.14	63.44	27.95	263342	37619	225723
8	बिजनौर	11	52.04	65.31	37.17	346663	49522	297141
9	बदायूँ	18	32.38	44.45	18.00	465605	66514	399091
10	देवरिया	16	52.32	72.40	33.17	303990	43426	260564
11	इटावा	8	64.55	77.80	48.89	115583	16511	99072
12	फतेहपुर	13	50.45	66.06	32.76	274931	39275	235656
13	गौतमबुद्धनगर	4	64.61	80.11	46.13	103348	14762	88586
14	गाजीपुर	16	52.35	71.33	33.71	335074	47867	287207
15	हाथरस	7	56.99	74.03	36.92	134642	19234	115408
16	झांसी	8	61.24	77.26	42.80	173487	24783	148704
17	कन्नौज	8	57.43	71.07	41.42	138333	19760	118573
18	कुशीनगर	14	41.55	61.08	21.72	390398	55770	334628
19	महराजगंज	12	40.97	60.74	19.87	295934	42275	253659
20	मैनपुरी	9	60.39	75.16	43.08	149153	21307	127846
21	मुजफ्फरनगर	14	55.22	68.78	39.78	373895	53413	320482
22	प्रतापगढ़	17	50.21	70.44	31.08	319507	45643	273864
23	रायबरेली	21	47.72	64.34	30.54	359701	51384	308317
24	संतकबीरनगर	9	44.41	63.12	25.92	178808	25544	153264
25	उन्नाव	16	48.99	63.18	33.08	333236	47604	285632
26	वाराणसी	8	51.67	76.22	45.50	290430	41489	248941

योग	325				7367286	1052442	6314844

- प्रदेश में साक्षर भारत योजना के प्रथम चरण के जनपदों में स्थापित किये जाने वाले लोक शिक्षा केन्द्रों का विवरण निम्नवत् है:—

क्र. सं.	जनपद	ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किए जाने वाले लोक शिक्षा केन्द्रों का विवरण
1	आगरा	636
2	अलीगढ़	853
3	बलिया	833
4	बांदा	437
5	बाराबंकी	1002
6	बरेली	1011
7	बस्ती	1047
8	बिजनौर	967
9	बदायूँ	1069
10	देवरिया	1019
11	इटावा	420
12	फतेहपुर	788
13	गौतमबुद्धनगर	260
14	गाजीपुर	1046
15	हाथरस	430
16	झांसी	451
17	कन्नौज	449
18	कुशीनगर	953
19	महराजगंज	777
20	मैनपुरी	503

21	मुजफ्फरनगर	687
22	प्रतापगढ़	1105
23	रायबरेली	965
24	संतकबीरनगर	647
25	उन्नाव	954
26	वाराणसी	703
योग		20012

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी 15+ वय वर्ग के निरक्षरों को पठन–पाठन की सामग्री निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जायेगीं

(xiv) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो;

विभाग में सभी सूचनाओं को कम्प्यूटराईज किया जा रहा हैं भारत सरकार की वेबसाइट– www.nlm,nic.in एव www.saaksharbharat.nic.in में उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित सूचनाएं Citizen User पर देखी जा सकती हैं कार्यक्रम संबंधी अन्य सूचनाएं निदेशालय से प्राप्त की जा सकती हैं

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;

सभी कार्य दिवसों में विभाग से सभी सूचनायें पूर्वान्ह 9:30 से सायं 6 बजे की बीच किसी भी समय प्राप्त की जा सकती हैं वाचन कक्ष इस हेतु उपलब्ध हैं

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

जनसूचना अधिकारी– सुश्री कमलेश प्रियदर्शी उपनिदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ.प्र., लखनऊ
संपर्क दूरभाष नं.–

सहायक जनसूचना अधिकारी– श्री संतराम सोनी, उप निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ.प्र., लखनऊ
संपर्क दूरभाष नं.–

नोट– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत किसी भी प्रकरण पर रु. 25000.00 का दण्ड विभाग के किसी भी अधिकारी पर नहीं लगाया गया हैं